न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 130/2021

1. कैलाश पुत्र रामनारायण दास
2. पांची पत्नी रामनारायण दास
3. भागचन्द पुत्र रामनारायण दास
4. केसरलाल पुत्र नृसिंह दास
5. किशनगोपाल पुत्र नृसिंह दास
6. रामेश्वर पुत्र नृसिंह दास
7. श्यामसुन्दर पुत्र नृसिंह दास
8. काना पुत्र गजानन्द
9. रामअवतार पुत्र गजानन्द
10. रामकंवर पुत्र गजानन्द
11. सुवा पुत्र गजानन्द
12. कानाराम पुत्र बिहारी
13. नन्दलाल पुत्र बिहारी
14. कोपन देवी पत्नी प्रदीप कुमार
15. नेमीचन्द पुत्र प्रदीप कुमार
16. श्रीधर पुत्र प्रदीप कुमार
17. नोरत पुत्र रणछोडदास
18. पुरूषोत्तमदास पुत्र रणछोडदास
19. मुकेश पुत्र द्वारका प्रसाद
20. मोहित पुत्र द्वारका प्रसाद
21. सरजू देवी पत्नी जगदीश
22. मदनलाल पुत्र जगदीश
23. महावीर प्रसाद पुत्र जगदीश
24. राधेश्याम पुत्र जगदीश
25. रामस्वरूप पुत्र जगदीश

सर्व जाति साधू निवासीगण ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. टोमा पत्नी बिशन
2. सरदार पुत्र बिशन
3. प्रभू पुत्र राधाकिशन
4. मनोहर पुत्री राधाकिशन
5. प्रेमदेवी पुत्री रामनारायण
6. ब्रह्म पुत्र रामनारायण
7. लक्ष्मण पुत्र रामनारायण
8. तुलसी पत्नी रघुनाथ
9. रूपा पुत्र रघुनाथ
10. राधा पुत्री रघुनाथ
11. रामधन पुत्र रघुनाथ
12. रामकरण पुत्र रामलाल
13. रामेश्वर पुत्र रामलाल
14. सूरता पुत्री रामलाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

5. रामस्वरूप दत्तक पुत्र सुखपाल
6. हरदयाल पुत्र सांवरलाल
17. इन्द्रा पत्नी सावंरलाल
18. हरदीन पुत्र रामचन्द्र
19. गोरधन पुत्र महराम
20. रामनाथ पुत्र घीसा
21. सूरज पुत्र घीसा
22. हरनाथ पुत्र घीसा

सर्व जाति जाट, निवासीगण ग्राम बालापुरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

23. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 05/08/2022

उपस्थितः श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रार्थीगण अभिभाषक

अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 133 रकबा 6.7552 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 एवं ख0नं0 134 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकबा 7.2406 हैक्टैयर कृषि भूमि ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजी के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 की कृषि भूमि ख0नं0 131 स्थित है तथा दक्षिण दिशा में ही अप्रार्थी संख्या 20 से 22 की कृषि भूमि ख0नं0 665/132 स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 22 के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को अप्रार्थी संख्या 1 से 22 जुताई हंकाई करते समय तोड़–फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी संख्या–1 से 22 लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की दक्षिण दिशा की सींव में पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण के पडौस के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 22 प्रार्थीगण की भूमि पर नाजायज कब्जा करना चाहते है एवं प्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

को तोडते हुए नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 22 के मध्य प्रतिवर्ष कृषि भूमि की जुताई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 22 अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढी नहीं होने की ओट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है, जिसको मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर पत्थरगढी करवाकर ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 16.06.2020 को सीमाज्ञान किया गया था, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 22 मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है एवं दिनाक 31.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 22 ने प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करने का असफल प्रयास किया जिस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं उक्त वाद कारण निरन्तर जारी है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की दक्षिण दिशा में पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 22 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी सं0 23 को समुचित अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने पर उनका जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 19 की कृषि भूमि ख0नं0 131 स्थित है तथा दक्षिण दिशा में ही अप्रार्थी संख्या 20 से 22 की कृषि भूमि ख0नं0 665/132 स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 22 के मध्य आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थीगण के खेत की सीमाओं को अप्रार्थी संख्या 1 से 22 जुताई हंकाई करते समय तोड़–फोड़ करते रहते है तथा मौके पर विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 22 लडाई झगडा करने पर उतारू रहते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की दक्षिण दिशा की सींव में पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 22 अपनी निर्धारित सीमा जोत में मौके पर पत्थरगढी नहीं होने की ओट में प्रार्थीगण की कृषि भूमि में कब्जा करने का असफल प्रयास करते है, जिसको मौके पर प्रार्थीगण की भूमि पर हदबन्दी करवाकर, उस पर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पत्थरगढी करवाकर ही विवाद को रोका जा सकता है। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 16.06.2020 को सीमाज्ञान किया गया था, जिसे अप्रार्थी संख्या 1 से 22 द्वारा मानने को तैयार नहीं है तथा आये दिन विवाद करते रहते है एवं दिनाक 31.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 22 ने प्रार्थीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट करने का असफल प्रयास किया जिस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ एवं उक्त वाद कारण निरन्तर जारी है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की दक्षिण दिशा में पत्थरगढी करवाने के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 133 रकबा 6.7552 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 एवं ख0नं0 134 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकबा 7.2406 हैक्टैयर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा जिसमें ख0नं0 133 व ख0नं0 134 का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला में स्थित प्रार्थीगण की सहखातेदारी ख0नं0 133 रकबा 6.7552 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 एवं ख0नं0 134 रकबा 0.4854 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकबा 7.2406 हैक्टयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05/08/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)